

राजस्थान-सरकार

निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक/नर्सिंग (F)/से0नि0/सी-20(II)/2019/

दिनांक:-


मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जयपुर-प्रथम।

विषय: श्रीमती लीलाम्मा सेबास्टयन, महिला स्वास्थ्य दर्शिका के सेवानिवृति
आदेश जारी करने बाबत।

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक संस्थापन/नर्सिंग/2018/11771 दिनांक 26.12.18

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में श्रीमती लीलाम्मा सेबास्टयन, महिला स्वास्थ्य दर्शिका जयपुर-प्रथम के सेवानिवृति आदेश जारी करने के सम्बन्ध में लेख है कि कार्मिका के विभागीय जांच में लीलाम्मा सेबास्टयन, महिला स्वास्थ्य दर्शिका, नागौर को राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प-24(11) चिस्वा/गुप-2/11 दिनांक 17.08.2011 के द्वारा निलम्बित किया गया है।

अतः कार्मिका के निलम्बित के सम्बन्ध में पूर्ण वस्तुस्थिति से निदेशालय को अवगत करावें, ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।



संयुक्त निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर

क्रमांक/नर्सिंग (F)/से0नि0/सी-20(II)/2019/253

दिनांक:- 19-2-2019

प्रतिलिपी:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
2. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।


संयुक्त निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर